



उप/सहायक आयुक्त का कार्यालय  
OFFICE OF THE DEPUTY/ASSISTANT COMMISSIONER



केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मण्डल-VI, अहमदाबाद उत्तर  
CENTRAL GOODS & SERVICES TAX & CENTRAL EXCISE, DIVISION-VI, AHMEDABAD NORTH  
सातवाँ तल, बी. डी. पटेल हाउस, सरदार पटेल की मूर्ति के पास, नाराणपुरा, अहमदाबाद – 380014  
7<sup>th</sup> FLOOR, B. D. PATEL HOUSE, NEAR SARDAR PATEL STATUE, NARANPURA, AHMEDABAD – 380014  
फ़ोन/Phone : 079-27683574 ई-मेल/E-Mail : gstdivision6@gmail.com

फा.सं.

दिनांक :

सेवा में,

महोदय,

विषय/Subject :- एससीएन/SCN

दिनांक/dated

\*\*\*\*\*

इस संबंध में सूचित किया जाता है कि वर्तमान मामले में सहायक आयुक्त, सीजीएसटी, मण्डल-VI, अहमदाबाद उत्तर ने आपको निम्नलिखित दिनांक और समय पर व्यक्तिगत सुनवाई का ..... (पहला/दूसरा/तीसरा/अंतिम) अवसर प्रदान किया है: -

Please refer to the above cited subject. In this connection it is to inform that in the instant case the Assistant Commissioner, CGST, Division-VI, Ahmedabad North has granted you ..... (1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup>, Final) opportunity for Personal Hearing on date and time as mentioned under: -

दिनांक / Date	:
समय / Time	:

2. अतः आपसे अनुरोध है कि निर्धारित तिथि एवं समय पर सहायक आयुक्त, सीजीएसटी, मण्डल-VI, अहमदाबाद उत्तर के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित हों। कृपया ध्यान दें कि यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं होते हैं, तो इस संबंध में बिना किसी सुनवाई/संवाद के रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले का एकतरफा निर्णय लिया जाएगा।

2. It is therefore requested to appear for personal hearing before the **Assistant Commissioner, CGST, Division-VI, Ahmedabad North** at the scheduled date and time. Please be informed that if you fail to attend the PH, the case will be decided ex-parte on the basis of evidences available on record without any further hearing/communication in this regard.

अधीक्षक (अपराध एवं अधिनिर्णयन)

मण्डल-VI, सीजीएसटी एंड सीएक्स, अहमदाबाद उत्तर

डीआईएन/DIN : .....